

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1912]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2016/श्रावण 10, 1938

No. 1912]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2016/SRAVANA 10, 1938

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2016

का. आ. 2575 (अ).—आधार (वित्तीय और अन्य छूटों, लाभों और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने एतद्वारा दिनांक 12.07.2016 से डॉ. ए.बी.पी. पाण्डेय, आईएएस (एमएच : 1984) को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

[फा.सं. 10(16)/2016-ईजी- II]

संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

ORDER

New Delhi, the 1st August, 2016

S.O. 2575(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 18 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government hereby appoints Dr. A.B.P. Pandey, IAS (MH : 1984) as the Chief Executive Officer of the Unique Identification Authority of India with effect from 12.07.2016.

[F.No. 10(16)/2016-EG-II]

SANJIV MITTAL, Jt. Secy.

3809 GI/2016